बिहार विधान सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार तिथि ९ दिसम्बर १९६५।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में वृहस्पतिवार तिथि ९ दिसम्बर, १९६५ को पूर्वाहन ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मी नारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

श्री नवल किशोर सिंह--महाशय में तृतीय बिहार विधान-सभा के दशम सत्र (जुलाई-अगस्त), १९६५ के शेष ८५ अल्प-सूचित प्रश्नों में से १० प्रश्नों के उत्तर जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं दिये जा सके, सभा की मेज पर रखता हूँ।

प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न पूछने के समय उपस्थित रहना चाहिये।

(अल्प-सूचित प्रश्न संख्या १--प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित।)

श्री राज मंगल मिश्र- अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है अतः इसे पूछने का आदेश दिया जाय ?

अध्यक्ष--प्रश्नकर्त्ता को उपस्थित होना चाहिये। यह जिम्मेवारी सदस्यों की है। आपलोगों में से किसी को उन्होंने अधिकृत किया है ?

श्री राज मंगल मिश्र--जी नहीं, लेकिन यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिये पूछने का आदेश दिया जाय।

अध्यक्ष--मैं इस चीज को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूँ। जो प्रश्न की सूचना देते हैं उन्हें उपस्थित रहना चाहिये जबकि इसकी सूचना आपको पहले से ही दे दी जाती है। मैं इसको नहीं मानता हूं।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

पटवन की व्यवस्था।

१५६। श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, नदी-घाटी योजना (सोन एवं गंडक) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(१) सोन बराज और गंडक बराज की नहरों का कबतक निर्माण हो जाने की संभावना है;

(२) इन नहरों से कबतक पटवन का कार्य शुरूहोने की आशा की जाती है ?

(२) श्री रहमान का स्थानान्तरण, जब से वे इस प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित हैं, अबतक कहीं नहीं हुआ है।

(३) श्री काजी बसीउर रहमान दिनांक १८ मार्च १९५८ से वैसाली प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित हैं। श्री रहमान से पूर्व के पदस्थापित लिपिकों का स्थानान्तरण हो चुका है। श्री रहमान के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी है।

(४) श्री रहमान का स्थानान्तरण जिला पदाधिकारी द्वारा यथाशीघ्र किया जायगा।

आवेदन-पत्र पर कार्रवाई।

२११। श्री मोती राम—क्या मंत्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान प्रखंड पदाधिकारी, बागोदर, जिला हजारीबाग में ग्राम पंचायत विष्णुगढ़ थाना विष्णुगढ़, अंचल विष्णुगढ़ का चुनाव भी इस वर्ष अपनी निगरानी में कराया है;

(२) यदि उपरोक्त खंड (१) का उत्तर हां में है तो क्या यह बात सही है कि उन्होंने उस चुनाव के सिलसिले में धारा १४४ भी लागू किया था;

(३) यदि उपरोक्त खंड (२) का उत्तर हां में है तो उन्हें वहां धारा १४४ लागू करने का क्या प्रयोजन था और उन्हें वैसा करने का अधिकार पहले से प्राप्त था या नहीं;

(४) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों की ओर से स्थानीय एस०डी० ओ० के यहां १९६५ के मई महीने में आवेदन दिया था यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है?

श्री सुशील कुमार बागे—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) विष्णुगढ़ ग्राम पंचायत का चुनाव तनावपूर्ण स्थिति में सम्पन्न हुआ था और मतगणना के समय अवांछित व्यक्तियों ने मतदान केन्द्र में प्रवेश करना चाहा था। फल-स्वरूप चुनाव पदाधिकारी ने गंभीर परिस्थिति को देखते हुए शांति भंग होने की आशंका से धारा १४४ लागू किया। उन्हें ऐसा करने का अधिकार पहले से प्राप्त था।

(४) यह बात सही है कि स्थानीय जनता के प्रतिनिधियों की ओर से विष्णुगढ़ ग्राम पंचायत के निर्वाचन से सम्बन्धित एक आवेदन-पत्र दिया गया था जिसमें १४४ धारा लागू करने एवं दुर्व्यवहार के आरोप थे। इसकी जांच द्वितीय पदाधिकारी ने की। उनके जांच प्रतिवेदन से यह प्रकट हुआ कि निर्वाचन पदाधिकारी ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया था।